

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मई 2022 — वैशाख 28, शक 1944

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-13/2017/32.— भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 3 के उप-नियम (3) के खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“(छ) इस नियमों में, अन्यथा उपबंधित किसी बात के होते हुए भी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की भागीदारी में किफायती आवास निर्माण घटक के अधीन आवासीय परियोजनाओं के संबंध में, संप्रवर्तक शहरी स्थानीय निकायों को, पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय या बाद में किसी भी समय, कोई भी पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 मई 2022

क्रमांक एफ 7-13/2017/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-05-2022 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 9th May 2022

NOTIFICATION

No. F 07-13/2017/32.— In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Real Estate (Regulation and Development), Rules, 2017, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After clause (f) of sub-rule (3) of rule 3, the following shall be added, namely :-

- "(g) Notwithstanding anything contained in these rule, in respect of housing projects under the affordable Housing in Partnership component of the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) for economically weaker section, the promoter urban local bodies shall not be required to pay any registration fee at the time of application for registration or any time thereafter."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. TIRKEY, Deputy Secretary.